पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/E/20/00300 & 00304

दिनांक: 1 September, 2020

Shri Chandan Kumar,
ग्रा-शाह सलेमपुर, निकट रा. प्रा.वि., पो-बाढ़, Pin:803213
Bihar

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 20 August, 2020 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-I मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.एन.डे.भौमिक,
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी विकास) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571790,2863616

धन्यवाद,

भवदीप,

01/09/2020
(जसबीर सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

<u>**अनुलग्नक-I**</u>

Sub.: Reply to RTI Query by Shri Chandan Kumar, Bihar.

Query 1 : पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के कायालयों, क्षेत्रिय मुख्यालयों उपकेन्द्रो, विभिन्न निर्माण कायालयों, प्रोजेक्ट कायालयों, आवासीय परसरों में संविदा के आधार पर वाहन को प्रयोग में लाया जाता है।

अगर वाहनों के संवेदक स्वयं ही वाहन चालक का कार्य करें तो,

(क) पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड कंपनी के नियमानुसार यह वैधानिक रूप से सही है या नहीं ?

Reply: आरटीआई एक्ट-2005 की धारा 2 (फ) के तहत मांगी गयी सूचना "information / जानकारी" के रूप में योग्य नहीं है।

(ख) भारतीय भविष्य निधि नियमानुसार यह वैधानिक रूप से सही है या नहीं ?

Reply : हमसे संबन्धित नहीं है।

(ग) भारतीय आयकर नियमानुसार यह वैधानिक रूप से सही है या नहीं ?

Reply : हमसे संबन्धित नहीं है।

Query 2 : ऐसे मामलों में जहाँ संवेदक स्वयं ही वाहन चालक का कार्य कर रहे है या करेंगे। कंपनी ऐसे व्यक्तियों को चालकों को मिलने वाली कंपनी प्रदत या भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा देश के अंतगत स्थापित न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण या संगठन/विभाग (जो ऐसी कोई सुविधा प्रदान करते हों या भविष्य में करेंगे) द्वारा प्रदत सुविधा अथवा रियायत अथवा प्राथिमकता (वर्तमान में अथवा भविष्य में यदि कोई हो) प्रदान करेगी अथवा नहीं ?

Reply 2 : ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में इस संबंध में कुछ भी उल्लेखित नहीं है।

Query 3: चूंकि वाहन चालक का कार्य करने वाले संवेदक का पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड कंपनी में प्रथम परचय संवेदक के तौर पर हुआ है। तब पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड कंपनी ऐसे संवेदकों से किसी कार्य /वस्तु//सेवा के लिए भुगतान अथवा किसी सुविधा के अधिकृत या अनधिकृत उपयोग के लिए कटौती के लिए ऐसे संवेदक मानेगी या वाहन चालक?

Reply 3 : ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में इस संबंध में कुछ भी उल्लेखित नहीं है।

----x-----

RP Singh